अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

**आदेश–पत्रक**

( ऐसे अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६ )

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

| आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १ | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २ | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३ |
|---|---|---|

# न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

## विविध अपील वाद संख्या 74/2012

दिनेश महतो —— अपीलार्थी

वनाम

राज्य —— प्रत्यर्थी

प्रस्तुत वाद दिनेश महतो, पिता– स्व0 कुशेश्वर महतो, ग्राम– अगवानपुर, थाना– सहरसा, जिला– सहरसा द्वारा उप विकास आयुक्त, सहरसा के दिनांक 24.11.11 को पारित आदेश ज्ञापांक 753/दिनांक 24.11.11 द्वारा उनके अनुबंध को रद्द करने के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपील आवेदन में अपीलार्थी का कथन है कि वे बिहार सरकार द्वारा राज्य स्तर पर आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् उनका चयन हुआ था । उपरोक्त परीक्षा के और परिणाम के बाद उनका पदस्थापन कहरा प्रखंड अन्तर्गत पंचायत रोजगार सेवक के पद पर हुआ था तथा उन्हें ग्राम पंचायत बनगॉव पूर्वी थाना बनगॉव, जिला– सहरसा का प्रभार मिला था । उनका यह भी कथन है कि आवेदक द्वारा ईमानदारी के साथ संतोषप्रद कार्य किया गया तथा संतोषजनक सेवा के आधार पर उनका सेवा अवधि का विस्तार करते हुए बनमा ईटहरी अन्तर्गत थाना– सलखुआ के जमालनगर पंचायत में पदस्थापन किया गया ।

उनका कथन है कि जब वे ग्राम पंचायत जमालनगर में कार्यरत थे, उसी अवधि में बनगॉव थाना में उनके विरूद्ध एक अपराधिक वाद संख्या 84/11 आई0पी0सी0 की धारा 467, 468, 471, 420, 120बी. एवं 409/34 अन्तर्गत दायर किया गया । उनका यह भी कथन है कि उन्हें उप विकास आयुक्त, सहरसा के पत्रांक 1857–2 दिनांक 08.11.11 द्वारा कारण बताओं नोटिश उपलब्ध कराया गया । उनका यह भी कथन है कि कारण बताओ

नोटिश प्राप्त होने के बाद उप विकास आयुक्त, सहरसा द्वारा उनपर लगाए गये आरोपों से इंकार करते हुए उनके द्वारा जबाव समर्पित किया गया। इसके उपरांत उप विकास आयुक्त, सहरसा के ज्ञापांक 753 दिनांक 24.11.11 के द्वारा अपीलार्थी के बर्खास्तगी एवं अनुबंध रद्द किये जाने संबंधी नोटिश उपलब्ध कराया गया । उक्त आदेश जिलाधिकारी, सहरसा के आदेश से पारित किया गया था । उनके द्वारा उप विकास आयुक्त, सहरसा के उक्त आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर अपील वाद दायर करते हुए कार्यच्युति (Dismisal ) आदेश को रद्द करते हुए सेवा में पुनःस्थापित करने हेतु अनुरोध किया गया है ।

उभय पक्षों का सुना। अभिलेख का अवलोकन से परिलक्षित होता है कि श्री दिनेश महतो के विरूद्ध उप विकास आयुक्त, सहरसा के द्वारा ग्राम पंचायत– बनगॉव पूर्वी के वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 तक में कार्यान्वित मनरेगा योजनाओं के संधारित अभिलेखों एवं पंजियों का निरीक्षण किया गया तथा मनरेगा अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं में 23 गंभीर अनियमितता पायी जाने की स्थिति में पत्रांक 1857/जि0 ग्रा0 वि0 अभि0 दिनांक 08.11.11 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया था ।

श्री दिनेश महतो, तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत, बनगॉव पूर्वी द्वारा दिनांक 15.11.11 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

अनियमितताओं के संबंध में तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, श्री दिनेश महतो द्वारा समर्पित किए गए स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया । उनके विरूद्ध निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाया गया –

1. अभिलेख में राषि निकासी संबंधी कार्यादेष पर मुखिया का हस्ताक्षर नहीं है तथा बिना अभिलेख में आदेष अंकित किए ही राशि की निकासी कर ली गई है ।

2. 17 योजनाओं से संबंधित सामग्री का अभिश्रव संलग्न नहीं है जबकि योजना पंजी एवं रोकड़ पंजी के अनुसार अभिश्रव के राशि का निकासी किया जा चुका है ।

3. 22 योजनाओं के अभिलेख में अभिश्रव संलग्न है, परन्तु बिना पारित किये ही राशि का निकासी किया जा चुका है ।

4. 23 योजनाओं के अभिलेख में संलग्न मास्टर रॉल में अंकित राशि के अनुरूप मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु मास्टर रॉल मुखिया/निगरानी एवं अनुश्रवण समिति द्वारा पारित नहीं किया गया है ।

5. 8 योजनाओं के अभिलेख में संलग्न मास्टर रॉल में मास्टर रॉल निर्गत करने संबंधी प्रखंड कार्यालय का मुहर एवं कार्यक्रम पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है ।

6. 8 योजनाओं के अभिलेख में संल्गन मास्टर रॉल पर कई मजदूरों का हस्ताक्षर/ अंगुठें का निशान अंकित नहीं है, जबकि मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है।

7. 14 योजनाओं के अभिलेख में संलग्न मास्टर रॉल पंचायत तकनिकी सहायक/ कनीय अभियंता द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।

8. 18 योजनाओं का मास्टर रॉल अभिलेख में संलग्न ही नहीं है, जबकि राशि का निकासी किया जा चुका है।

9. योजनाओं के मास्टर रॉल पर अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर अंकित नहीं है, जबकि अभिकर्त्ता द्वारा मजदूरों का मजदूरी भुगतान किया जा चुका है।

10. योजनाओं के मास्टर रॉल में जॉबकार्ड संख्या अंकित नहीं है, जबकि मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है।

11. 21 योजनाओं के अभिलेख में मापी पुस्त संलग्न नहीं है, जबकि योजना पंजी, रोकड़ पंजी एवं योजना अभिलेख के अनुसार राशि का निकासी किया जा चुका है।

12. 2 योजनाओं के अभिलेख में मापी पुस्त संलग्न है, परन्तु मापी पुस्त में मापी अंकित नहीं है,जबकि राशि का निकासी किया जा चुका है।

13. 8 योजनाओं के अभिलेख में मापी पुस्त संलग्न नहीं है, परन्तु योजना पंजी में मापी की राशि अंकित है, जबकि अंकित राशि से अधिक की राशि का निकासी किया गया है।

14. 16 योजनओं के अभिलेख में मापी पुस्त संलग्न है एवं मापी पुस्त में पंचायत तकनिकी सहायक/ कनीय अभियंता द्वारा मापी की प्रविष्टि की गई है, परन्तु प्रविष्ट मापी का सत्यापन कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता से बिना कराये ही भुगतान किया जा चुका है।

15. योजनाओं के अभिलेख में मापीपुस्त संलग्न है और मापी पुस्त में प्रविष्टि भी की गई है, परन्तु किनके द्वारा मापी पुस्त तैयार किया गया है, का हस्ताक्षर अंकित नहीं है, जबकि मापी पुस्त की राशि के अनुरूप भुगतान किया जा चुका है।

16. 13 बृक्षारोपण योजना के अभिलेख अद्यतन नहीं है और बन पोषक के भुगतान का अद्यतन आदेश पारित भी नहीं किया गया है तथा अभिलेख में बिना आदेश के ही राशि का निकासी किया जा चुका है।

17. 2 योजनाओं के अभिलेख में संलग्न प्राक्कलन की राशि से अधिक की राशि का निकासी किया गया है।

18. 1 योजना को योजना पंजी पर रद्द अंकित किया गया है, परन्तु योजना रद्द होने के बावजूद भी भुगतान कर दिया गया है।

पंचायत रोजगार सेवक द्वारा भूलवश हुए गलती को सुधार करने हेतु एक सप्ताह का समय देने तथा गलतियों को माफ करने का अनुरोध किया गया था, जिसे अस्वीकार करते हुए कार्यालय आदेश ज्ञापांक 753/गो0 दिनांक 24.11.11 द्वारा प्रमाणित आरोपों के आधार पर श्री दिनेश महतो, सम्प्रति

पंचायत रोजगार सेवक, जमालनगर, प्रखंड– बनमा ईटहरी तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत– बनगॉव पूर्वी का जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा द्वारा किए गए अनुबंध को रद्द करते हुए तात्कालिक प्रभाव से सेवा मुक्त किया गया है।

विज्ञ सरकारी वकील की और से भी बहस के दौरान उक्त कार्रवाई को सही बताया गया।

श्री महतो का नियोजन अनुबंध के आधार पर हुआ है। तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2401 / दिनांक 18.07.07 की कंडिका 10 में प्रावधानित है कि –

" संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा।"

सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनेश महतो की नियुक्ति पंचायत रोजगार सेवक के पद पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा महात्मा गॉधी रोजगार गारंटी योजना के तहत की गयी है एवं इनकी संविदा रद्द होने के कारण इनके अपील सुनने का प्रावधान बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली–1955 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है एवं इस वाद में किसी सुनवाई अपील का प्रावधान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहद् सक्षम प्राधिकार के तहत ही किया जा सकता है। बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली –1955 कि नियम 2 एवं 3 के तहत यह वाद सम्पोषनीय नहीं है। अतः क्षेत्राधिकार से बाहर होने के आलोक में इस वाद को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

18/12/2017

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

18/12/17

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा